

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पत्र संख्या—२०६०—वि०प०—(तारांकित)–०१ / २०२४

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में.

आयुक्त—सह— सचिव,
वाणिज्य कर विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स०वि०प०
द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०६वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित
ऑनलाईन प्रश्न (डायरी) संख्या—१ / २०६ / २२ के स्थानान्तरण के संबंध में।

प्रसंग:-

बिहार विधान परिषद् सचिवालय से दिनांक—०५.०२.२०२४ को ऑनलाईन प्राप्त।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित प्रश्न
वाणिज्य कर विभाग से संबंधित है।

अतएव बिहार विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त पत्र एवं प्रश्न की छायाप्रति संलग्न
करते हुये अनुरोध है कि वांछित उत्तर बिहार विधान परिषद् सचिवालय को ससमय भेजते हुये उसकी
प्रति संसदीय कार्य विभाग एवं वित्त विभाग को भी देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—

/वि०, पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को तारांकित
ऑनलाईन प्रश्न संख्या—१ / २०६ / २२ के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक—

१७१२

ह०/-
(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के उप सचिव।

/वि०, पटना, दिनांक— १६-०२-२०२४
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के उप सचिव।

बिहार विधान परिषद प्रश्न

1/206/22

फर्जी कंपनियों की जांच

19/01/2024

05/02/2024

*1/206/22 श्री महेश्वर सिंह(पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार)

वित्त विभाग

(क) क्या यह सही है कि बिहार में एक हजार से अधिक फर्जी कंपनियों में से करीब 300 कंपनियां मजदूरों के नाम पर खोली गई हैं और उनके द्वारा जी.एस.टी.की चोरी की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इन कंपनियों में से अधिकांश सासाराम ,भमुआ , गया और नवादा जिला में पायी गयी हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी फर्जी कंपनियों की जांच कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?
